तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज मु.नं. 18/2024 राजेश प्रजापति बनाम राज. सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
19/5/25	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 2/6/25 को पेश हो।	
2/6/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 9/6/25 को पेश हो।	
9/6/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13/06/2025 को पेश हो।	
13/06/2025	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 30/6/25 को पेश हो।	
30/6/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 14/7/25 को पेश हो।	
14/7/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 28/7/25 को पेश हो।	
28/7/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित। अभि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/8/25 को पेश हो।	
5/8/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली/प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय मुताबिक है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजेश वगैरह बनाम राज. सरकार
	मिलाया जाकर शामिल पत्रावली। पत्रावली कैफियत शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	Sd/-
	खण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र क्रमांक:— 18 / 2024

1. राजेश पुत्र रनजीत सिंह
2. जगदीश पुत्र परमाल जातियान जाट निवासी नगला बीजा तहसील उच्चैन।

.................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0

.............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,136 एल.आर.ए.

उपस्थिति

1.श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

दिनांक:—05.08.2025

निर्णय

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111,128,136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 382 रकवा 0.11है0 वाके ग्राम नगला बीजा में स्थित है। उक्त विवादित आराजी का पुराना खसरा नम्बर 366 था तथा उक्त साविक खसरा नम्बर का दौराने सैटलमेंन्ट हाल नया नम्बर 382 वनाया गया तथा उक्त आराजी का हाल राजस्व नक्शा तैयार किया गया एवं जो दौराने सैटलमेंन्ट हाल राजस्व नक्शा कसीद किया गया वो साविक राजस्व नक्शा एवं मौके के खिलाफ तैयार किया गया तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में उक्त आराजी का रकवा 0.11है0 सही है लेकिन राजस्व नक्शा हाल में उक्त आराजी का रकवा मुताविक हाल नक्शा 0.06है0 बनता है। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा में उक्त आराजी का रकवा 0.05है0 कम कर दिया है। साविक खसरा नम्बर से हाल राजस्व नक्शा से तुलना करने पर यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि उक्त आराजी के तरफ पूर्व में 3 गठ्ठे एवं पश्चिम में 3.5 गठ्ठे तथा उत्तर एवं दक्षिण में एक—एक गठ्ठे कम कर दिये है तथा साविक नक्शा के विपरीत नक्शा तैयार किया गया है एवं हाल राजस्व नक्शा में रकवा बराबरी नहीं होता है। जव हम प्रार्थीगण को राजस्व नक्शे में हुई अशुद्धि की जानकारी हुई तो हमने नक्शा दुरस्ती हेतु अप्रार्थी से कहा तो अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को कहा तथा बिना आदेश दुरस्ती करने से इन्कार कर दिया जिसके कारण प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश कर राजस्व नक्शे में हुई अशुद्धि को दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार उच्चैन ने जवाव पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 382 रकवा 0.11है0 जगदीश पुत्र परमाल हि. 1/2 राजेश पुत्र रनजीतसिंह हि. 1/2

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

जाति जाट सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक राजस्व नक्शा के ख.नं. 382 एवं उसके आसपास लगे हुए अन्य खसरों का क्षेत्रफल या तो कम बैठता है या उनके स्वयं के क्षेत्रफल के बराबर बैठता है एवं खसरा नम्बर 382 की सीमाओं में परिवर्तन करने से सम्पूर्ण ग्राम का देह हिल सकता है।

अभिभापक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभापपक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि उक्त विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 366 से नया नम्बर 382 बनाया गया है जिसका रकवा 0.11है0 दर्ज रिकार्ड है परन्तु दौराने सैटलमेंन्ट जब उक्त आराजी का नया राजस्व नक्शा बनाया गया तो विवादित आराजी का रकवा कम कर दिया गया। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा पेश जवाव स्पष्ट नहीं है। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रार्थीगण की आराजी का रकवा किस खातेदारान की आराजी में निकलता है एवं कितना निकलता है। दौराने सैटलमेंन्ट राजस्व नक्शे में प्रार्थीगण की आराजी के रकवे में हुई अशुद्धि को शुद्ध किया जाकर नक्शा दुरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा अभिभापक प्रार्थी की वहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जवाव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन के जवाव से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खसरा नम्वर के आसपास के नम्बरों का क्षेत्रफल या तो वरावर वैठता है या कम वैठता है ऐसी स्थिति में विवादित खसरा नम्बर का नक्शा दुरस्त किया जाना संभंव नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है:—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 05.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर